न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– देवीलाल यादव (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 168/2022

उनवान

रामा पुत्र लादू जाति जाट निवासी ग्राम मोराझडी, नसीराबाद
—— वादी :– जरियें अधिवक्ता श्री सुखदेव चौधरी

बनाम

1. प्रेम पत्नी अमरा,
2. सरदार पुत्र अमरा समस्त जाति जाट निवासीगण मोराझडी तहसील नसीराबाद,
3. पंजीयन अधिकारी पंजीयन नसीरबाद,
4. दी मैनेजर बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा रामसर,
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नसीराबाद

—— प्रतिवादीगण :– 1 से 2 जरियें अधिवक्ता श्री जितेन्द्र गुर्जर
3 व 5 जरियें राज0 पैरोकार
4 अनुपस्थित

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, 92 ए राज0 काश्त0 अधि0 1955 व 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

—: निर्णय :— दिनांक :– 12/04/24

अधिवक्ता वादी ने उक्त वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम मोराझडी में वादी की कयशुदा कब्जा व खातेदारी/काश्तकारी की भूमि है जिसका विवरण निम्न प्रकार है :–

वंकिग खसरा नम्बर	रकबा	हाल खसरा नम्बर	रकबा
1404	1–8–10	1708	0.08
		1712	0.15
1518	1–7–0	1713	0.33
		1713/2358	0.16
1415	0–3–0	1703/2497	[illegible]
1418	1–5–0	1711	[illegible]

उपरोक्त आराजी के साथ अन्य आराजी वादी [illegible] दिनांक 24.04.1978 को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पति/पिता अमरा से क्रय [illegible] कब्जा व दखल प्राप्त कर लिया था। किन्तु राजस्व अधिकारियो द्वारा उक्त विकय की पाल[illegible] अधिकार अभिलेख में

——2

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2024.07.01 17:18:25 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

नही करने के कारण प्रतिवादीगण वादी के कब्जे काश्त में दखदांजी कर रहे है। अतः नामान्तकरण संख्या 73 द्वारा वादी के नाम दर्ज होने से शेष भूमि पर वादी को खातेदार घोषित किया जावे। प्रतिवादीगण को जरियें जरियें स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 2 ने प्रकरण में जवाब पेश कर निवेदन किया कि वादी का वाद खारिज किया जावे। प्रतिवादी संख्या 4 प्रकरण में अनुपस्थित रहे। राज0 पैरोकार ने जाहिर किया कि वादी अपना वाद स्वयं सिद्व करे।

वाद पत्र व जवाब के आधार पर प्रकरण में निम्न तनकियात कायम की गयी :-

1. आया आराजी मुतनाजा वादी की विधिक कयशुदा है ?

— वादी

2. आया वादग्रस्त आराजी का वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण होने से वादी खातेदारी प्राप्ति के अधिकारी है ?

— वादी

3. अनुतोष ?

अधिवक्ता वादी ने वाद के समर्थन में राजस्व अभिलेख व विक्रय पत्र पेश किये व साक्ष्य पेश नही करने के कारण साक्ष्य वादी बंद की गयी। अधिवक्ता प्रतिवादी ने भी साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया विद्वान अधिवक्तागण व राज0 पैरोकार की बहस पर मनन किया तनकी अनुसार निर्णय निम्नवत् है :-

तनकी संख्या 1 :-

वादी द्वारा प्रस्तुत विक्रय पत्र अनुसार वादी रामा पुत्र लादू ने जरियें पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 24.04.78 को वंकिंग खसरा नम्बर 1404 रकबा 1-8-10, 1518 रकबा 1-7-0, 1415 0-3-0 व अन्य खसरा नम्बर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पति/पिता अमरा पुत्र मादू से 1/2 हिस्सा कय किया था। वंकिंग जमाबंदी में उक्त आराजी अमरा पुत्र मादू 1/2 व लादू, हरचन्द पि0 नानक 1/2 हिस्सा दर्ज है। विक्रय पत्र में अंकित समस्त वंकिंग खसरा नम्बर का नामान्तकरण विक्रय पत्र की पालना में नामान्तकरण संख्या 73 द्वारा वादी के नाम दर्ज किया गया। किन्तु वंकिंग खसरा नम्बर 1404, 1518 व 1415 पर विक्रय पत्र में लादू, हरचन्द पि0 नानक के हस्ताक्षर नही होने से उक्त खसरा नम्बर पर नामान्तकरण स्वीकार नही किया गया। जबकि नामान्तकरण में विक्रेता अमरा पुत्र मादू का 1/2 हिस्सा स्वीकार किया जाना था। प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने जवाब में वाद का ठोस खण्डन नही किया है। उनके द्वारा जवाब के समर्थन में साक्ष्य भी पेश नही की है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पति/पिता तत्कालीन खातेदार द्वारा आराजी मुतनाजा प्रतिफल राशि प्राप्त कर वादी को विक्रय कर दी थी। पंजीकृत विक्रय पत्र की सत्यता से इंकार नही किया जा सकता है। धारा 63 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अनुसार विक्रेता के खातेदारी अधिकार का अवसान हो चुका है। पंजीकृत विक्रय पत्र के विरुद्ध कोई चाराजोही प्रतिवादी द्वारा नही की गयी है। किन्तु विक्रय पत्र में वंकिंग खसरा [illegible] 1418 अंकित नही है। ना ही वंकिंग खसरा नम्बर 1418 का नामान्तकरण वादी के [illegible] दर्ज [illegible] है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज से खसरा नम्बर 1418 के अतिरिक्त [illegible] वादी का विधिक कयशुदा सिद्व होती है। तनकी संख्या 1 [illegible] वादी निर्णित की [illegible] है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2024.07.01 17:18:25 IST
Reason: SelfAttested

तनकी संख्या 2 :–

तनकी संख्या 1 के विवेचन के अनुसा वंर्किग खसरा नम्बर 1404, 1518 व 1415 वादी की विधिक कयशुदा सिद्व होती हैं उक्त खसरा नम्बर का नामान्तकरण विकय पत्र के अनुसार वादी के नाम पूर्व में दर्ज हुआ था। वंर्किग जमाबंदी में विक्रता का 1/2 हिस्सा ही दर्ज था किन्तु नामान्तकरण में पूर्ण हिस्सा केता के नाम अंकन करने के कारण उक्त वंर्किग खसरा नम्बर में नामान्तकरण स्वीकर नही किया गया। जबकि नामान्तकण में विक्रेता का जितना हिस्सा जमाबंदी में दर्ज था स्वीकार किया जाना चाहिये था। जिससे स्पष्ट है कि नामान्तकरण संख्या 73 को निर्णित करते समय विधिक त्रुटि की है। वंर्किग जमाबंदी में अमरा पुत्र मादू का 1/2 हिस्सा दर्ज था। विकय पत्र में भी 1/2 हिस्सा विकय किया गया है। हाल राजस्व अभिलेख में उक्त आराजी विक्रेता के पुत्र/पत्नी प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज है। उनके द्वारा बिना किसी विधिक अधिकार के प्रतिवादी संख्या 4 बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा रामसर से विकय की गयी भूमि पर ऋण प्राप्त कर लिया जो प्रतिवादी संख्या 4 के नाम रहन होने के कारण वाद में प्रतिवादी संख्या 4 को पक्षकार मुर्तिब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का उक्त आराजी पर कोई विधिक अधिकार नही होने के कारण उनके द्वारा उक्त आराजी पर ऋण प्राप्त नही किया जा सकता है। प्रतिवादी संख्या 4 प्रकरण में अनुपस्थित रहे है। प्रतिवादी संख्या 4 के पास प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के हिस्से की अन्य भूमि भी रहन दर्ज है जो विवादित नही है। प्रतिवादी संख्या 4 अन्य आराजी से ऋण की वसूली कर सकता है। वंर्किग खसरा नम्बर 1518 रकबा 1–7–0 के दो हाल खसरा नम्बर 1713 रकबा 0.22 व 1713/2358 रकबा 0.16 बने है किन्तु वादी विकय पत्र के अनुसार 1–7–0 रकबे पर ही खातेदारी प्राप्त कर सकता है। तनकी संख्या 2 बहक वादी निर्णित जाती है।

अतः ग्राम मोराझडी के हाल खसरा नम्बर 1708 रकबा 0.08, 1712 रकबा 0.15, 1703/2497 रकबा 0.02, 1713 रकबा 0.22 की आराजी पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। उक्त आराजी पर वादी को प्रेम पत्नी अमरा व सरदार पुत्र अमरा (प्रतिवादी संख्या 1 व 2) के हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करें। इस आशय की पर्चा डिकी जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2024.07.01 17:18:25 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

रामा बनाम प्रेम वगै0

दावा बाबत :– 88, 188, 92ए राज. का. अधि0 1955 व 136 भू. राज0 अधि0 1956

राजस्व मुकदमा नम्बर – 168/2022
पेश करने की दिनांक – 23.11.2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक सुखदेव चौधरी मुददई अभिभाषक जितेन्द्र गुर्जर व राज0 पैरोकार मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम मोराझडी के हाल खसरा नम्बर 1708 रकबा 0.08, 1712 रकबा 0.15, 1703/2497 रकबा 0.02, 1713 रकबा 0.22 की आराजी पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। उक्त आराजी पर वादी को प्रेम पत्नी अमरा व सरदार पुत्र अमरा (प्रतिवादी संख्या 1 व 2) के हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करें।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक———— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 12 माह 04 सन् 2024 को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत मेहनताना वकील फीस कमिश्नर खर्चा गवाहान बाबत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी मेहनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक
मिजान	मिजान

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2024.07.01 17:18:25 IST
Reason: SelfAttested